(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भाली बनाम बाम्नी

मुकदमा वाद नं0 245 सन् 2016

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16 वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 17-1-17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
15/11/16 दरीम वादीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पत्रावली किताब से तलब की गयी। पत्रावली पेश हुई। दरीम वादिया उपस्थित। दरीम वादिया ने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर बहस करनी चाही। दरीम वादिया की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान दरीम वादिया ने कथन किया कि हम वादिया एवं प्रतिवादीगण के कुछ लोग रिश्तेदार भी आपस में तथा मौजिज लोगों की समझाईश से आपसी राजीनामा हो जाने से इन दोनों पक्षों के कुछ कोई विवाद शेष नहीं रहने तथा आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हो इसकी सच्चाई पर प्रकरण को खारीज फरमाया जावे। अतः पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया। न्याय हित में प्रस्तुत आपसी राजीनामा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दोनों पक्षों के कुछ शेष आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	